न्यायालय लैण्ड रेकर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.प.संख्या 01 / 23

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1. मनोहर सिंह पुत्र स्व. बलवंत सिंह जाति–राजपूत निवासी मांकरोडा तहसील व जिला सिरोही		1. स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही तहसील व जिला सिरोही

उपस्थित–
1 प्रार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री हिमांशु सिंह
2. अप्रार्थी स्टेट की ओर से श्री पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) सिरोही

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर ★ सिरोही (राज.) सत्यमेव जयते

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्त करने राजस्व रेकर्ड

आदेश दिनांक 31–01–2024

प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्त करने राजस्व रेकर्ड हेतु अप्रार्थी के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 05.01.2023 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की पुश्तैनी कृषि आराजी ग्राम मांकरोडा, पटवार हल्का मांकरोडा, तहसील व जिला सिरोही में आई हुई है, जिसके खाता संख्या 30, 323, 398 है तथा खसरा संख्या 366, 555, 936, 166, 1619 / 409 है। प्रार्थी के पिता जी मृत्यु के बाद उक्त आराजी प्रार्थी व उसके भाईयों, माता के नाम से जरिए नामान्तरण दर्ज हुई। प्रार्थी के घर का नाम जसवंत सिह है तथा प्रार्थी के पहचान सम्बंधी दस्तावेज आधारकार्ड, निर्वाचन पहचान कार्ड, राशनकार्ड व अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम मनोहर सिंह है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के समय प्रार्थी के घर का नाम व दस्तावेज में दर्ज नाम दोनों दर्ज कर लिए गए है। प्रार्थी को जसवंतसिंह के नाम से बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है तथा न ही उक्त नाम प्रचलन में है, जिसे राजस्व अभिलेख में दोनों नाम दर्ज होने से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी को लॉन लेने में, सरकार की कृषि बीमा राशि प्राप्त करने में आदि परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख जमाबंदी में प्रार्थी का नाम जसवंतसिंह उर्फ मनोहरसिंह के स्थान पर प्रार्थी अपना मूल नाम मनोहर सिंह रखना चाहता है। राजस्व अभिलेख से जसवंतसिंह उर्फ को हटाया जाकर रेकर्ड को दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है, जिससे रेकर्ड दुरूस्त होकर एक ही नाम दर्ज रहेगा।। प्रार्थी गरीब दर्जे के किसान है। प्रार्थी के नाम राजस्व भूराजस्व रेकर्ड में नाम दुरुस्त नहीं किए जाने की

दशा में प्रार्थी के साथ अन्याय होगा तथा प्रार्थीगण को न्याय से वंचित होना पड़ेगा, प्रार्थी अपना नाम दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।
अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी नाम जसवंत सिंह उर्फ मनोहर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह की जगह मनोहर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह दुरूस्त किए जाने के आदेश प्रदान करावें। अन्य कोई अनुतोष, जो प्रार्थी के हित में न्यायोचित हो, दिलाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे संलग्न प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि आराजी ग्राम मांकरोडा, पटवार हल्का मांकरोडा, तहसील व जिला सिरोही में जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या नया 30 व पुराना खाता संख्या 25 कुल खसरे 3 व कुल क्षेत्रफल 2.4600 हेक्टेयर, जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या नया 323 व पुराना खाता संख्या 297 कुल खसरे 01 व कुल क्षेत्रफल 1.9600 हेक्टेयर, जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या नया 398 व पुराना खाता संख्या 323 कुल खसरे 01 व कुल क्षेत्रफल 0.2600 हेक्टेयर, आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, 10 वीं की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस की छाया प्रति, की प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयाँ आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 05.01.2023 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने से शा.मि. किये गये। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने तहसीलदार सिरोही की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे समय दिया गया। उक्त प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 31–01–2024 को अप्रार्थी स्टेट की ओर से जरिए क्रमांक/रीडर/विधि/2023/2115 दिनांक 04.01.2024 को जवाब पेश किया जिसे शा.मि. किया गया तथा जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई।

अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में कथन किया कि ग्राम मांकरोड़ा की जमाबन्दी व नामान्तकरण अनुसार सही होने से स्वीकार है। प्रार्थी का नाम–मनोहर सिंह है, जो उनके पहचान दस्तावेज में है, स्वीकार है। प्रार्थी का घरेलू नाम जसवन्त सिंह है। स्वयं सिद्ध करे। तथापि जमाबन्दी में दोनों नाम – जसवन्त सिंह उर्फ मनोहर सिंह पिता बलवन्त सिंह दर्ज है। प्रार्थी अपने एक नाम जसवन्त सिंह को हटाना चाहता है, जो स्वीकार है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व प्रार्थी के पहचान दस्तावेज अनुसार तैयार किया गया कि इनके दो नाम – जसवन्त सिंह व मनोहर सिंह में से – जसवन्त सिंह (नाम) को हटाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सारांश के रूप में ग्राम मांकरोड़ा के जमाबंदी के खाता संख्या 199 व 195 में दर्ज जसवंत सिहं पुत्र बलवंत सिंह के बजाय मनोहरसिंह पुत्र बलवंत सिंह किया जाना उचित है।

इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली इस न्यायालय मे दिनांक 31–01–2024 को अंतिम बहस मे रखी गई जिस पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ने हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई।

रा.प्रा.प.संख्या 01/23
मनोहर सिंह बनाम स्टेट

प्रकरण मे अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया । विचाराधीन प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थना पत्र,जवाब व राजस्व रेकर्ड की प्रतियों का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर भी मनन किया । प्रकरण मे अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ने भी तहसीलदार सिरोही के जवाब के आधार पर प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण के आराजी ग्राम मांकरोडा, पटवार हल्का मांकरोडा, तहसील व जिला सिरोही की में जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या नया 30 व पुराना खाता संख्या 25 कुल खसरे 3 व कुल क्षेत्रफल 2.4600 हेक्टेयर, जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या नया 323 व पुराना खाता संख्या 297 कुल खसरे 01 व कुल क्षेत्रफल 1.9600 हेक्टेयर, जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या नया 398 व पुराना खाता संख्या 323 कुल खसरे 01 व कुल क्षेत्रफल 0.2600 हेक्टेयर, तहसीलदार सिरोही के जवाब अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी के पुश्तैनी खातेदारी तथा कब्जा काश्त की है। जिस पर प्रार्थी अन्य खातेदार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थी के खातेदारी की उक्त आराजी के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम जसवंतसिंह उर्फ मनोहरसिंह चला आ रहा था लेकिन प्रार्थी के पहचान संबंधी दस्तावेजों में प्रार्थी का सम्मानजनक नाम मनोहरसिंह पुत्र बलवंतसिंह है। प्रार्थी के निर्वाचन पहचानकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में भी प्रार्थी का नाम मनोहरसिंह पुत्र बलवंत सिंह ही नाम दर्ज है, राजस्व अभिलेख में उक्त सम्मानजनक नाम दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त कारण से प्रार्थी अपने सम्मानजनक नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है जिससे राजस्व अभिलेख जमाबंदी तथा पहचान संबंधी दस्तावेजों में भिन्नता नहीं रहे तथा भविष्य में किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति नहीं रहे। प्रार्थी के उपरोक्त राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे हुई त्रुटि सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई है। उपरोक्त त्रुटि न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव व प्रकरण में कानूनी उलझनों से गुजरना पड़ सकता है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सिरोही के उक्त जवाब के आधार पर अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही (भूमिधारी अधिकारी) को आदेश दिया जाता है कि आराजी ग्राम मांकरोडा, पटवार हल्का मांकरोडा, तहसील व जिला सिरोही की में जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या नया 30 व पुराना खाता संख्या 25 कुल खसरे 3 व कुल क्षेत्रफल 2.4600 हेक्टेयर, जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या नया 323 व पुराना खाता संख्या 297 कुल खसरे 01 व कुल क्षेत्रफल 1.9600 हेक्टेयर, जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या नया 398 व पुराना खाता संख्या 323 कुल खसरे 01 व कुल क्षेत्रफल 0.2600 हेक्टेयर में दर्ज गलत नाम "**जसवंतसिंह उर्फ मनोहरसिंह पुत्र बलवंतसिंह** " के स्थान पर **मनोहरसिंह पुत्र बलवंतसिंह** अंकित/दुरूस्त कर जमाबंदी अपडेट कर पालना से न्यायालय को अवगत करावें ।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज॰)

न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर सिरोही (राज.)